पत्र संख्या-सा० पु०-1-0-25189-2546-सा०पु०

साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग

प्रेषक

श्री भी० एन० मिश्रा,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में

समाहर्त्ता, बेगूसराय ।

पटना-15, दिनांक 23 मई 1989

विषय—शीर्ष "2245-दैविक विपत्तियों के संबंध में राहत" के अन्तर्गत आग से जले मकानो की मरम्मति/पुनर्निर्माण के लिये सहायता" मद में मांग के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके दूरमुद्रक संवाद संख्या-1690, दिनांक 13 मई 1989 के प्रसंग में मुझे सूचित करना है कि वांछित मांग तथ्यात्मक प्रतीत नहीं होता है ।

2. इस प्रसंग में अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों को अनुमान्य राहत से संबंधित नियम सूचनार्थ एवं अग्रेतर हेतु नीचे उल्लेखित है ।

(क) बाढ तूफान आदि से प्रभावित व्यक्तियो को जो राहत अनुमान्य है वही राहत अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों को भी अनुमान्य है ।

(ख) प्रति मृतक के लिये, संतप्त परिवार को 5 000 (पांच हजार) रुपये का अनुग्रह अनुदान अनुमान्य है ।

(ग) एक सप्ताह का मुफ्त खाद्यान्न अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों को देय है, बशर्ते प्रभावित व्यक्तियो का खाद्यान्न अग्निकांड से विनष्ट हो गया है । समाहर्त्ता अपने विवेकानुसार खाद्यान्न आपूर्त्ति की व्यवस्था करेंगे परन्तु अग्निकांड से प्रभावित अपाहिजो, निःसहायो पदासीन औरतों तथा वैसे भूमिहीन परिवारों जिनके पास एक एकड़ से कम जमीन हो तथा जिनकी वार्षिक आय सभी स्रोतो से 3500 रुपये तक सीमित हो, उन्हें मुफ्त खाद्यान्न अत्यावश्यक रूप से एक सप्ताह तक उपलब्ध करायी जाय ।

(घ) 3,500 (तीन हजार पांच सौ रुपये) तक वार्षिक आय वाले प्रभावित व्यक्तियों को 200 रु० से 750 रु० तक (कच्चा मकान के लिये) गृह अनुदान अनुमान्य है । शर्त यह है कि प्रभावित परिवार के एक व्यस्क को दो इकाई एवं अव्यस्क को एक इकाई मान कर राशि देय होगा। प्रथम दो इकाई के लिये 200 रु० देय है। तत्पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिये 100 रु० अतिरिक्त राशि अनुमान्य है उदाहरण यथा पांच इकाई के लिये अनुमान्य राशि 500 रु० होगा । अधिकतम देय राशि 750 रु० ही है। पक्का मकान के लिये अनुमान्य राशि 1,000 (एक हजार) रु० है ।

(3) अग्निकांड के परिप्रेक्ष्य में अकाल बाढ़ संहिता की कंडिका 251 के अनुसार भी जिला स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है को नीचे उद्धत है ।

बिहार बाढ़ अकाल बाढ़-साहाय्य संहिता के पृष्ठ 87 की कंडिका 251 को को उद्धरण ।

व्यापक क्षति की दशा में गृह निर्माण अनुदान के वितरण की प्रक्रिया-जहां कहीं व्यापक क्षति हुई हो और बड़े पैमाने पर गृह निर्माण अनुदान बांटना आवश्यक हो, वहां अनुदान देने के पहले विभिन्न बाढ़ सहाय्य क्षेत्रों के गांव में सारे बाढ पीड़ित इलाकों के क्षतिग्रस्त मकानों का पूरा-पूरा सर्वेक्षण कर लेना होगा । इस प्रकार के सर्वेक्षण में इस बातों का उल्लेख होना चाहिए । ब्योरे, परिवार के सदस्यों की संख्या और मकान मालिक का नाम, संबद्ध व्यक्ति का खालीहालत, यानि वह निर्धन है या नहीं । यह बात उसकी जमीन जायदाद और आमदनी के साधन से मालूम हो

सकेगी । यह सूची तैयार कर ही यथासंभव सभी कर्मचारियों को काम में लगाना चाहिए । खासकर ग्राम पंचायतों और इस सर्वेक्षण के लिये गांव की अन्य उपलब्ध एजेंसियों से अधिकाधिक सहायता लेनी चाहिए । सूची तैयार हो जाने के बाद ऐसे सुविधाजनक केन्द्रों में गृह निर्माण अनुदान बांटने का अग्रिम कार्यक्रम बना लेना उपयोगी सिद्ध होगा, जहां कि दो तीन गांव के लोग उसके लिये एकत्र हो सकें । राजपत्रित पदाधिकारी को चाहिए कि वह उस इलाके के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने में स्वयं अनुदान बांटे, अनुदान पाने वालों की पहचान करालें और इस प्रयोजन के लिये रखी गयी पंजी में उनके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान ले लें । गृह निर्माण अनुदान के हरेक मामले में इस बात सत्यापन कर लेना आवश्यक होगा कि क्षति बाढ़ या अगलगी सीधे किसी अन्य प्राकृतिक संकट के कारण ही तो हुई है, न कि मकान छोड़ देने या उसके गिर जाने से अर्थात् किसी दूसरे कारण और संबंधित व्यक्तियों द्वारा उसकी मरम्मत न होने के कारण· यह बहुत जरूरी है कि बाढ़ की दशा में भी गृह निर्माण अनुदानों को नवम्बर के अंत होने के पहले ही बांट दिया जाय, ताकि संबद्ध व्यक्ति बरसात आने के पहले अपने मकानों की मरम्मत करा सके । अगलगी से क्षति होने पर वितरण कार्य अधिकाधिक तेजी से करना होगा ।

उपर्युक्त उद्धरण में "बाढ़ सहाय्य क्षेत्रों या बाढ़ पीड़ित इलाकों" के स्थान पर "अग्निकांड से पीड़ित क्षेत्र" का अर्थ निहित समझा जायगा ।

(च) वैसे व्यक्ति जो निःसहाय है एवं कार्य करने के लिये सक्षम नहीं है या अपाहिज है, उन्हें 2 (दो रुपया) प्रति व्यस्क तथा 1 (एक रुपया) प्रति अव्यस्क प्रतिदिन के दर से नगद अनुदान अधिकतम सात दिनों तक के लिये देय है । यह राशि वस्तुतः नमक, तेल, किरासन तेल या मोमबत्ती, मशाला, दियासलाई इत्यादि के लिये अनुमान्य है । प्रशासन के द्वारा इन सामग्रियों को उपर्युक्त व्यक्तियों को यह अपूर्ति की गयी हो तो उन व्यक्तियों नगद अनुदान अनुमान्य नहीं है ।

(छ) वैसे प्रभावित परिवार जिनके घर जल गए हैं तथा कपड़े एवं वर्तन आदि भी विनष्ट हो गए हों तो प्रत्येक प्रभावित परिवार को अधिकतम 100 रु० तक कपड़ों के लिये एवं 100 रु० तक वर्तन के लिये राशि अनुमान्य है ।

3. कंडिका-2 के उप कंडिका iii v एवं vii के लिये देय राहत उप मुख्य शीर्ष "02-बाढ़ तुफान आदि" के अन्तर्गत 113 मकानों की मरम्मति पुनर्निर्माण के लिये सहायता आग लग जाने पर राहत कार्य के लिये अग्नि साहाय्य मद से विकलनीय होगा ।

अतः उपर्युक्त उल्लेखित नियमानुसार कार्रवाई कृपया की जाय, तत्पश्चात् तथ्यात्मक प्रतिवेदन के साथ वास्तविक आवश्यक राशि की मांग की जाय ।

विश्वासभाजन,
भी एन मिश्रा,
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक-2546-सा०पु०

दिनांक 23 मई, 1989

प्रतिलिपि—सभी प्रमंडलीय आयक्त।सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

भी० एन० मिश्रा,
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक-959-सहाय्य,

दिनांक 15 जून, 1989 ई०

प्रतिलिपि—सभी अनुमंडल पदाधिकारी।सभी अंचल अधिकारी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ । आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(ह०) अस्पष्ट,
अपर समाहर्त्ता, साहाय्य, पटना